क० परिवर्तन संख्या - 1314046 - दिनांक 18-9-2013

अत्यन्त आवश्यक/महत्वपूर्ण

पत्र संख्या-ज्वा0कमि0(वि0अनु0शा0)मु0-57/स0प0/वि0अनु0शा0व्यवस्था परिवर्तन/2013-14/1047 वाणिज्यकर
कार्यालय कमिश्नर वाणिज्यकर, उत्तर प्रदेश।
(वि0अनु0शा0-अनुभाग)
लखनऊ :: दिनांक :: सितम्बर, 13 ,2013

समस्त

जोनल एडीशनल कमिश्नर, वाणिज्यकर, उ0प्र0
एडीशनल कमिश्नर ग्रेड-2, वाणिज्यकर, उ0प्र0
ज्वाइण्ट कमिश्नर वाणिज्यकर, उ0प्र0
डिप्टी कमिश्नर / असिस्टेंट कमिश्नर / वाणिज्य कर अधिकारी,
वाणिज्य कर, उ0प्र0।

महालेखाकार कार्यालय द्वारा वि0अनु0शा0 इकाईयों की कार्य-प्रणाली के संबंध में यह आपत्ति उठाई गयी है कि वि0अनु0शा0 इकाईयों द्वारा किये गये सर्वेक्षणों / अभिग्रहणों से संबंधित करनिर्धारण अधिकारियों को प्रेषित वि0अनु0शा0 प्रतिवेदनों के सापेक्ष कितना कर वास्तव में प्राप्त हुआ है इसके अनुश्रवण की कोई व्यवस्था नही है तथा इस संबंध में पर्यवेक्षणीय अधिकारियों के स्तर से न तो कोई निर्देश जारी किये गये हैं और न ही कोई पर्यवेक्षणीय कार्य किया गया है।

महालेखाकार सम्परीक्षा द्वारा उक्त आपत्ति प्रदेश के 11 विभिन्न जोनों के वि0अनु0शा0 इकाईयों एवं उनके पर्यवेक्षक अधिकारियों के कार्यो एवं प्राप्त परिणामों के विश्लेषण के उपरान्त तार्किक रुप से उठाई गयी है। अतः उक्त के संबंध में निम्न निर्देश दिये जाते हैं :--

वि0अनु0शा0 इकाईयों द्वारा किये जाने वाले कार्यो एवं अपनाई जाने वाली प्रक्रिया तथा अनुश्रवण के संबंध मे विस्तृत दिशा निर्देश प्रर्वतन मैनुअल में प्रसारित किये गये हैं। प्रवर्तन मैनुअल में एडीशनल कमिश्नर ग्रेड-2 (वि0अनु0शा0), ज्वाइण्ट कमिश्नर(वि0अनु0शा0), डिप्टी कमिश्नर(वि0अनु0शा0), असिस्टेंट कमिश्नर(वि0अनु0शा0), वाणिज्यकर अधिकारी (वि0अनु0शा0) के कार्य व दायित्व भी निर्धारित है। प्रवर्तन मैनुअल के अतिरिक्त परिपत्र संख्या-692 दिनांक 03-07-2012 द्वारा वि0अनु0शा0 इकाईयों के कार्यो की गुणवत्ता और अधिक सुदृढ़ बनाये जाने हेतु विस्तृत दिशा निर्देश जारी किये गये हैं जिसमें वि0अनु0शा0 जॉच के पूर्व की प्रक्रिया, सर्वेक्षण के समय की जाने वाली कार्यवाही, वि0अनु0शा0 जॉच के पश्चात् की जाने वाली कार्यवाही का विस्तृत विवरण दिया गया है। उक्त के अतिरिक्त इस परिपत्र में करनिर्धारण अधिकारी द्वारा पारित वि0अनु0शा0 से संबंधित करनिर्धारण आदेशों का वि0अनु0शा0 अधिकारी द्वारा परीक्षण करने, एकपक्षीय प्रतिवेदन तैयार करने, प्रतिवेदनों का निस्तारण करने व अन्वेषक दल का गठन करने हेतु भी विस्तृत दिशा निर्देश दिये गये हैं।

प्रवर्तन मैनुअल में वि0अनु0शा0 इकाईयों से संबंधित रखे जाने वाले महत्वपूर्ण अभिलेख व उनके प्रारुप भी दिये गये हैं जिसमें अभिग्रहण मेमो, सर्वेक्षण / अभिग्रहण रजिस्टर तथा प्रेषित किये गये प्रतिवेदनो के रजिस्टर का प्रारुप दिया गया है। प्रतिवेदन रजिस्टर में वि0अनु0शा0 जॉच के संबंध में की गयी कार्यवाही का विवरण तथा वि0अनु0शा0 प्रतिवेदन भेजने के बाद करनिर्धारण अधिकारी द्वारा की गयी कार्यवाही का विवरण भी अंकित किये जाने का कालम है जिसमें अनन्तिम / अंतिम करनिर्धारण आदेश पारित करने की तिथि,

करनिर्धारण अधिकारी द्वारा निर्धारित अपवंचित बिक्रयधन, सृजित मांग तथा जमा की गयी धनराशि का विवरण अंकित करने हेतु कालम दिये गये हैं वि0अनु0शा0 इकाईयों में रखे जाने वाले अभिलेखों का समुचित रूप से रखरखाव किया जा रहा है अथवा नही इसका पर्यवेक्षण किये जाने हेतु डिप्टी कमिश्नर(वि0अनु0शा0) साप्ताहिक, ज्वाइण्ट कमिश्नर(वि0अनु0शा0) पाक्षिक तथा एडीशनल कमिश्नर ग्रेड-2(वि0अनु0शा0) मासिक रुप से अभिलेखों का परीक्षण करेगें तथा नियमित रूप से अभिलेखों के रख रखाव की व्यवस्था सुनिश्चित करायेगें।

परिपत्र दिनांक 03-07-2012 में करनिर्धारण अधिकारी द्वारा पारित वि0अनु0शा0 वादों के आदेशों का परीक्षण किये जाने के लिये रु0 एक करोड़ से अधिक अपवंचित टर्नओवर वाले मामलें एडीशनल कमिश्नर ग्रेड-2 (वि0अनु0शा0) द्वारा एवं रु0 25 लाख से रु0 एक करोड़ तक के मामलें ज्वाइण्ट कमिश्नर (वि0अनु0शा0) द्वारा तथा रु0 25 लाख तक के अपवंचित टर्नओवर वाले मामलों में करनिर्धारण आदेशों का परीक्षण करने हेतु डिप्टी कमिश्नर(वि0अनु0शा0) द्वारा किये जाने के निर्देश प्रसारित किये गये है जिनका कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय। वि0अनु0शा0 विंग के अधिकारियों तथा करनिर्धारण विंग के अधिकारियों की मत-भिन्नता की स्थिति में एडीशनल कमिश्नर ग्रेड-1, वाणिज्य कर की अध्यक्षता में ज्वाइण्ट कमिश्नर(कार्यपालक) वाणिज्य कर, ज्वाइण्ट कमिश्नर(वि0अनु0शा0) वाणिज्य कर, संबंधित करनिर्धारण अधिकारी एवं संबंधित डिप्टी कमिश्नर(वि0अनु0शा0) की गठित कमेटी द्वारा उचित दिशा निर्देश दिये जायेगे उसमें एडीशनल कमिश्नर ग्रेड-1 का निर्णय अंतिम माना जायेगा। वि0अनु0शा0 अधिकारी द्वारा करनिर्धारण आदेश की समीक्षा किये जाने पर यदि प्रतिवेदन के अनुरूप आदेश नही पाया जाता है तो इस संबंध में ज्वाइण्ट कमिश्नर(कार्यपालक) के समक्ष अपील / रिवीजन की कार्यवाही हेतु संस्तुति की जायेगी।

प्रवर्तन मैनुअल में प्रतिवेदन प्रेषण रजिस्टर का प्रारुप निर्धारित है जिसमें प्रतिवेदन प्रेषित किये जाने के साथ-साथ करनिर्धारण अधिकारी के स्तर पर की गयी कार्यवाही का विवरण भी अंकित किया जाना निर्धारित है। अत: करनिर्धारण अधिकारियों का दायित्व है कि वि0अनु0शा0 इकाईयों से प्राप्त प्रतिवेदन के आधार पर उनके स्तर से की गयी कार्यवाही यथा समय संबंधित वि0अनु0शा0 इकाइयों को प्रेषित किया जाय।

ऐसा प्रतीत होता है कि प्रवर्तन मैनुअल तथा परिपत्र दिनांक 03-07-2012 से दिये गये दिशा निर्देशों का समुचित रुप से पालन नही किया जा रहा है। अत: इस परिपत्र के माध्यम से पुन: कड़े निर्देश प्रसारित किये जा रहे हैं कि कर निर्धारण विंग एवं प्रवर्तन विंग के अधिकारियों द्वारा मैनुंअल एवं परिपत्र में दी गयी व्यवस्था का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाये तथा पर्यवेक्षक अधिकारियों द्वारा मैनुअल तथा परिपत्र में दिये गये कार्यो का अनुश्रवण अपने स्तर से ससमय किया जाना सुनिश्चित किया जाय।

उक्त निर्देशों का कड़ाई से पालन करना सुनिश्चित करें।

13.9.2012

(मृत्युंजय कुमार नारायन)
कमिश्नर,वाणिज्य कर
उत्तर प्रदेश।